भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3311

जिसका उत्तर शुक्रवार, 23 मार्च, 2018 को दिया जाना है

**अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (ए आई जे एस) और न्यायिक प्रशासनिक एजेंसी की स्थापना 3311. श्री देरेक ओब्राईन :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की अधीनस्थ न्यायपालिका हेतु अखिल भारतीय न्यायिक सेवाएं शुरू करने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार की संयुक्त राष्ट्र न्यायालयों के प्रशासनिक कार्यालय के समान न्यायिक प्रशासनिक एजेंसी स्थापित करने की कोई योजना है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**उत्तर**

**विधि और न्‍याय तथा कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री (श्री पी.पी.चौधरी)**

**(क) और (ख) :** अखिलभारतीय न्यायिक सेवा (एआईजेएस) के गठन के लिए एक व्यापक प्रस्ताव बनाया गया था और नवम्बर, 2012 में सचिवों की समिति द्वारा उस पर विचार किया गया और उसकी सिफारिश की गई थी । अप्रैल, 2013 में आयोजित मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में प्रस्ताव पर विचार किया गया था, जिसमें यह विनिश्चय किया गया था कि इस मुद्दे पर और विचार-विमर्श और ध्यान देने की आवश्यकता है । राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों से भी प्रस्ताव पर उनके विचार मागे गए थे । अखिल भारतीय न्यायिक सेवा, देश की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को आकर्षित करने के अतिरिक्त, अल्प सुविधा प्राप्त, उपांत समुदायों और महिलाओं में से सक्षम व्यक्तियों को भी न्यायपालिका में सम्मिलित होने को सुकर बना सकेगा और देश के अन्य भागों से, ऐसे राज्य अधिकारी, जो आबंटन के राज्य से भिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले तथा भाषा बोलने वाले हैं, को भी लाया जा सकेगा । अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन पर पणधारियों के बीच राय में असहमति को देखते हुए, सरकार ने एक सामान्य आधार पर पहुंचने के लिए परामर्शक प्रक्रिया आरंभ की है ।

**(ग)** **:** जी, नहीं ।

(**घ)** **:** प्रश्न ही नहीं उठता है ।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*